

प्रपत्र-33

(नियम-61(2) देखें)

[वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का प्रत्येक वर्ष 15 जून तक दिये जाने वाला अंशदान]

वित्तीय वर्ष-

वक्फ का नाम	
वक्फ से शुद्ध आय	
(क)	
(ख)	
(ग)	
(घ)	
धारा-72 की उपधारा-1 के अनुसार आय से कटौती	
(क)	
(ख)	
(ग)	
(घ)	
(ङ)	
वक्फ से सकल आय	
वक्फ बोर्ड को देय 7% अंशदान	

मुतवल्ली / सचिव
प्रबन्ध समिति के हस्ताक्षर
मोबाईल नम्बर-

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

नोट- मोबाईल नम्बर एवं पूर्ण पता अंकित किया जाय।